प्रेस नोट 18-05-2021

1. दिनांक 16.05.2021 की देर शाम थाना मौरावां के ग्राम दरेहटा मे पूर्व प्रधान वेद प्रकाश यादव ने अपने समर्थको के साथ वर्तमान प्रधान अवधेश चौरसिया व अन्य की मारपीट तथा गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। जिस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2021 धारा 143/147/148/149/307/504/506/ 109/120B/216 आईपीसी 7 C.L.A. Act बनाम 1.वेद प्रकाश यादव पुत्र अज्ञात, 2. सुभाष चन्द्र यादव पुत्र अज्ञात, 3. सन्तोष यादव पुत्र स्व0 राम खेलावन यादव, 4.अभिषेक यादव पुत्र वेद प्रकाश यादव, 5. नीरज यादव पुत्र अज्ञात, 6. अनिल तेली पुत्र राम आसरे नि0 गण दरेहटा थाना मौरावां जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तों में से 1.सन्तोष उर्फ विजेन्द्र प्रताप यादव पुत्र राम खेलावन यादव निवासी ग्राम दरेहटा थाना मौरावां उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष, 2.अनिल तेली पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम दरेहटा थाना मौरावां उन्नाव उम्र 46 वर्ष, 3.विमलेश यादव पुत्र फूलचन्द्र निवासी हंस खेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष 4.मान सिंह पुत्र स्व0 राम सेवक यादव निवासी चुन्नू खेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष 5. अकबाल यादव पुत्र लक्ष्मी नरायन निवासी ग्राम सुब्बा खेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र 40 वर्ष 6. शत्रोहन पुत्र रामआसरे निवासी पुरैनी खेड़ा थाना पुरवा उन्नाव उम्र 40 वर्ष ,को दिनांक 18.05.2021 को मुखबिर की सूचना पर बसहा बाजार के आगे पावर हाउस के पास से बरामद असलहों,कारतूसों व खोखों सहित गिरफ्तार किया गया।

   अभियोग की विवेचना से पाया गया कि अभियुक्तगण मान सिंह, शत्रोहन , अकबाल द्वारा पूर्व में षडयंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से घटना कारित करायी गयी तथा अभियुक्तगण को अपने अपने घरों में संरक्षण दिया गया था।